

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 12/12/17

अधिसूचना सं०-17/विविध-17/2017 - 687 (17) /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल में नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

2. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है, वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।
3. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे०-5400/-अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।
4. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पद धारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक है, वे अपने पैतृक संवर्ग में वापस हो जायेंगे। वैसे बाह्य चिकित्सक जो राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य नहीं है, उनकी टेन्योर समाप्ति के पश्चात् वे उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
5. नियंत्री पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित चिकित्सकों को तुरत विरमित कर देंगे। सभी चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर यथाशीघ्र (अधिकतम 15 दिन में) अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लें।
6. योगदान के समय संबंधित महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक, ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट के लिए अहर्ता संबंधी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्रों की जाँचकर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।
7. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नियुक्त ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट से योगदान के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्तकर लेंगे कि चिकित्सक MCI से मान्यता प्राप्त किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/संस्थान से तीन वर्षों का ट्यूटर/सीनियर रेजिडेंट की अवधि पूर्ण नहीं किये है।

| नेफ्रोलॉजी | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------------------|
| क्रम सं० | चिकित्सक का नाम | कैटेगरी | आरक्षण कोटि | पदस्थापन स्थान |
| 1 | डा० मणीशंकर पाण्डेय 8116 XXXX 8332 | पी०जी०एस० | सामान्य | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| गैस्ट्रोलॉजी | | | | |
| 1 | डा० उदय कुमार 8840 XXXX 6025 | पी०जी०एस० | पि० वर्ग | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| नियोनेटोलॉजी | | | | |
| 1 | डा० विवेक कुमार 6824 XXXX 0970 | बी०एच०एस० | अ० पि० वर्ग | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| न्यूरोलॉजी | | | | |
| 1 | डा० राजेश कुमार सिंह 201779 XXXX 6998 | पी०जी०एस० | सामान्य | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |

1
रजिस्ट्रार

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-------------|------------------------------|
| 2 | डा० स्नेह कुमार झा 8492 XXXX 5534 | पी०जी०ओ० | सामान्य | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| 3 | डा० प्रकाश कुमार सिन्हा 4806 XXXX 0868 | पी०जी०एस० | सामान्य | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| शिशुसर्जरी | | | | |
| 1 | डा० विजय कुमार सुमन 3635 XXXX 6398 | पी०जी०एस० | सामान्य | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| यूरोलॉजी | | | | |
| 1 | डा० संदीप कुमार 9865 XXXX 8557 | पी०जी०एस० | अ० पि० वर्ग | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| कार्डियोलॉजी | | | | |
| 1 | डा० राजीव कुमार झा 2020 XXXX 6237 | पी०जी०एस० | सामान्य | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| कार्डियोथोरासिक सर्जरी | | | | |
| 1 | डा० मनीष कुमार 8070 XXXX 2899 | पी०जी०एस० | अ० पि० वर्ग | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| न्यूरोसर्जरी | | | | |
| 1 | डा० वीर अभिमन्यु पंडित 3872 XXXX 1487 | पी०जी० ओ० | अ० पि० वर्ग | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |
| 2 | डा० कुन्दन कुमार 7002 XXXX 0711 | पी०जी०एस० | अ० पि० वर्ग | अनु० ना० म० चिकि० महा०, गया। |
| 3 | डा० दिग्विजय कुमार सिंह 4757 XXXX 0029 | पी०जी०एस० | पि० वर्ग | पटना चिकि० महा० अ०, पटना। |

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- 17/ विविध-17/2017 - 687/17/पटना, दिनांक :- 12/12/17

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक /संयुक्त सचिव 1, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-1,2,3,9 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।